To Construct New Bus Stand

493. SH. ISHWAR SINGH, M.L.A.: Will the Transport Minister be pleased to state:-

a) the present status of the construction of new Bus Stand on Patiala road in Cheeka; and

b) whether the workshop or depot will also be constructed on the proposed 6 acre land of bus stand togetherwith the details thereof ?

MOOLCHAND SHARMA, TRANSPORT MINISTER, HARYANA

a) The land under consideration of the Government for the construction of New Bus Stand at Cheeka (49 Kanal land of District Administrationon Kaithal-Patiala Road) was under illegal encroachments. The Deputy Commissioner, Kaithal, was requested(vide letters dated 02-07-2021,23-08-2021 and 03-09-2021) to provide the land to State Transport Department, Haryana, after getting it free from all encroachments. Now, the Deputy Commissioner, Kaithal, has intimated (vide his letter dated 13-12-2021) that the illegal encroachment of the said land by the Truck Operator Union has been removed. Deputy Commissioner,Kaithal has vide above referred letter recommended to the Additional Chief Secretary, Govt. of Haryana, Revenue and Disaster Management to transfer the said land to State Transport Department. Hence, the transfer of the said land is under process.

b) No, Sir. There is no such proposal under the consideration of the Governmentto construct adepot or a sub depot or workshop on this land. Rather, a3 bays bus stand will be constructed on this land.

<u>नए बस स्टैंड का निर्माण</u>

493. **श्री ईश्वर सिंह, एम.एल.ए.:**क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) चीका में पटियाला सड़क पर नए बस स्टैंड के निर्माण करने की वर्तमान स्थिति क्या है; तथा

(ख) क्या बस स्टैंड की प्रस्तावित 6 एकड़ जमीन पर वर्कशाप या डिपो भी बनाया जाएगा तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

मूलचन्द शर्मा **परिवहनमंत्री, हरियाणा**

क) चीका (कैथल–पटियाला रोड़ पर जिला प्रशासन की 49 कनाल भूमि) में नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन भूमि अवैध अतिक्रमण के अधीन थी। उपायुक्त, कैथल से (पत्र दिनांक 02.07.2021, 23.08.2021 और 03.09.2021 के माध्यम से) प्रस्तावित भूमि को सभी अतिक्रमणों से मुक्त करवाकर राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा को प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था । अब उपायुक्त, कैथल ने (अपने पत्र दिनांक 13.12. 2021 द्वारा) सूचित किया है कि उक्त भूमि पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन का अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। उपायुक्त कैथल ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से, उक्त भूमि को राज्य परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन को सिफारिश की है इसलिए उक्त भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।

ख) जी नहीं, श्रीमान्। इस भूमि पर डिपो, सब डिपो या वर्कशॉप बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस भूमि पर एक 3 बेज बस स्टैंड बनाया जाएगा।